

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या :- 38/2024

पन्नालाल पिता शंकरलाल मेहर निवासी शादी हा.मु. गंगपुर नई आवादी तहसील बेगू
वादी

बनाम

5. नेमीचन्द पिता शंकरलाल मेहर निवासी शादी तह0 बेगू
6. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा टुकराई तह0 बेगू
7. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगू
8. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय प्रतिनिधि राजस्थान सरकार चित्तौडगढ़

प्रतिवादीगण

निर्णय प्राथमिक डिक्री वाद पत्र अ0धा0 53 राज0काश्त0अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल गुर्जी की उपस्थिति एवं में तथा प्रतिवादीगण के अधिवक्ता रवी जोशी की उपस्थिति में वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 13.10.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगू के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट का निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है :-

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा शादी पटवार हल्का शादी की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है।

1- श्री पन्नालाल पिता शंकरलाल मेहर सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
269	0.1940		0.48
270	0.4620		2.01
271	0.5510		2.39
285 मेसे	0.0665		0.29

कीता- 04 1.2735 हैक्टर 5.17


2- श्री नेमीचन्द पिता शंकरलाल मेहर सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
285 मेसे	0.4355		1.89
341	0.1540		6.68
361	0.2350		6.56
364	0.2020		5.64
980/797	0.0280		0.07
981/386	0.2190		0.95

कीता- 06 1.2735 हैक्टर 21.79

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।


यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।


(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू

क्रमांक / सरिश्ता / 2025 /

दिनांक :-

दावा संख्या 38/2024 व अनवान पन्नालाल बनाम नेमीचन्द वगै वाद अ0धा0 53 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगू को दी जाती है


सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू